

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

रामकिशन बनाम इमीचन्द आदि  
अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 आरटीए नम्बर 41 सन् 2023

जी. सी. एम. एस. नम्बर 2022/86

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

तामिल  
हुकम

203.2023

प्रार्थी रामकिशन सिंह पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह के द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 आरटीए प्रस्तुत किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.04.2023 को पेश हो।

A

19/4/23

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी प्राप्त नहीं। पत्रावली वरिष्ठ इन्तजार तलबी दिनांक 03/05/23 को पेश हो।

B

03/05/23

वकील फरीकन उपस्थित श्री मान PO साहब... PUNUS में चर्चा है पत्रावली दिनांक 26/05/23 को पेश हो।

C

26/7/23

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन तलवाना पेश हो। पत्रावली वरिष्ठ तलबी दिनांक 6/9/23 को पेश हो।

D

6/9/23

वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता को सूक-र कर उबार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने पर वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 अदम्य पेशवी, हुक्म हाजरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नुम्बर से कम्प साकर वापस लफुतर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर